



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
Email - commissionersec@gmail.com
Ph.No. - 0755-2555527

क्रमांक एफ-35/PN-02/2018/तीन/196
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/03/2018

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु संशोधित प्रक्रिया।
Subject : Revised Process of Annual revision 2018 of Photo Electoral Roll for Panchayats.

—00—

1. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्ररूप-1 में तैयार किए जाने के प्रावधान हैं। म.प्र.पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-14 में नवीन संशोधन पश्चात् अब ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।
2. वर्ष 2016 और 2017 के वार्षिक पुनरीक्षण में कतिपय जिलों में मतदाता सूची तैयार करने में कुछ मानवीय और तकनीकी त्रुटियाँ हुई थी। त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS (Electoral Roll Management System) में वर्ष 2018 के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं :-
 - परिसीमन सम्बंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जायेगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिपिंग करना भी अनिवार्य किया गया है।
 - विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिपिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत प्रतिशत मार्किंग का प्रावधान किया गया है। शत प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं हो सकेगी।
 - प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्कैन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
 - डिजिटल हस्ताक्षर से दावे आपित्तियों के निराकरण हेतु समयसीमा बढ़ाई जा रही है। समय की कमी के कारण विगत वर्षों में कुछ रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध डी.एस.सी. डोंगल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को सौंप दिये जाने के मामलें प्रकाश में आये हैं।
 - अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्कैन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
 - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है। कलेक्टर, उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डैशबोर्ड से रियल टाइम पर पुनरीक्षण सम्बंधी की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सकेगी।

1. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018 का कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। पुनरीक्षण सम्बंधी विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी और अन्य सभी सम्बंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, म.प्र. को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन वर्ष 2016 में किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।
3. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत की दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है।
4. समस्त ग्राम पंचायतों की दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
 - **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
 - **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
 - **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

प्रथम चरण

कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन

5. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सम्पल संलग्न-1 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।
6. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।
7. वर्ष 2016 और 2017 में पुनरीक्षण की कार्यवाही में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगर पालिका में शामिल हो गये हैं, इसके बावजूद कंट्रोल टेबल से उनके नाम नहीं हटाये गये हैं और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं।
8. इस सम्बंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते क्रम में प्राप्त की जाये। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी। यह संख्या 0 या अन्य कुछ भी हो सकती है।
9. उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज हैं। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

10. यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में शामिल हो गये हैं उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज हैं। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।
11. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।
12. यदि वर्तमान वर्ष में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाये।
13. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जेनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

द्वितीय चरण

विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

14. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :-
 - i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट करना.
 - ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018) में बड़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2017) में सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करना.
 - iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018) में विलोपित मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2017) के सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाना.
 - iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2017) में यथासंशोधित करना.
 - v. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।
 - vi. फोटोरहित जेनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर अपलोड करना।
 - vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
 - viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
 - ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

15. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को, विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2018 की स्थिति) की 02 प्रतियाँ निःशुल्क प्रदाय की जाती है। उक्त प्रतियाँ यथा समय निःशुल्क प्राप्त कर ली जाये। उक्त निःशुल्क प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति पंचायत निर्वाचन के मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

**नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना**

16. वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) (सेम्पल संलग्न-2 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।
17. शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे वार्ड नम्बर, पंचायत क्रमांक एवं पंचायत का नाम मार्किंग करने के लिए रिक्त खाने बने हुए हैं।
18. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के खाने में वार्ड नम्बर, पंचायत का क्रमांक व नाम दर्ज करेगा।
19. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
20. शिफ्टिंग सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।
21. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित खाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

**विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन**

22. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) (सेम्पल संलग्न-3 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज हैं।
23. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
24. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

25. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।
26. यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।
27. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
28. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।
29. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

**विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन**

30. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) (सेम्पल संलग्न-4 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
31. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
32. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
33. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
34. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।
35. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

36. शिपिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जेनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिपिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरीय निकाय में शिपट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।
37. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरीय निकाय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
38. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरीय निकाय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
39. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिपट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिपट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।
40. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो-दो जिलों में भी स्थित हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-78 और 82 सीधी-सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-167 आगरमालवा-शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-193 झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-23 शिवपुरी-दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिपिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना

41. शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते हैं।
42. शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी। यदि शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा।
43. शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़रअंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।
44. ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।

45. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-10(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **संलग्न-5** में निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्कैन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
46. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। पंचायत की जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जिला पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल किया जाये। जनपद पंचायत स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जनपद पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी शामिल किया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

तृतीय चरण

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

47. दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नये प्रारूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये हैं। उक्त सभी आवेदनपत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि पूर्व प्रचलित प्रारूपों क, ख, ग और घ में भी दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदनपत्र प्राप्त होते हैं तो इस वर्ष उन्हें भी विचारण में लिया जायेगा।
48. प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (संलग्न-6)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम ग्राम पंचायतों की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ-साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।
49. **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व ही करा ली जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफटेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।
50. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से **डुप्लिकेट सूची (संलग्न-7)** पर्याप्त समय रहते प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :-
- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही विकासखंड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।
 - डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखंडों में दर्ज है।
 - डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।

51. मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची (डुप्लिकेट सूची) के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :-

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही विकासखंड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखंडों में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित विकासखंड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

52. मतदाता सूची का पुनरीक्षण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अतः डुप्लिकेट मतदाताओं के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विविध मद बी-121 में प्रकरण दर्ज किये जाये। प्रकरण की एन्ट्री RCMS (Revenue Case Management System) में भी की जाये। प्रकरण का निराकरण नियत समयसीमा के पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
53. विगत विधानसभा और लोकसभा उप चुनाव में विधानसभा की मतदाता सूचियों में गम्भीर त्रुटियाँ होने के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त क्षेत्रों में विशेष जाँच कर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन यदि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची की जाँच उपरांत कतिपय मतदाताओं के नाम विलोपित करने का निर्णय (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) लिया जाता है तो उस निर्णय के अनुसार सम्बंधित पंचायत की मतदाता सूची से भी उक्त मतदाताओं के नाम सीधे सीधे विलोपित कर दिये जाये।
54. मतदाता सूची के सम्बंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा किया जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजिटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा।
55. दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।
56. प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप **संलग्न-8** में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्केन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिंटिंग

57. आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :-

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. 4. सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए.

58. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेंगी :-

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ.	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे.

59. प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
60. मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के सभी विकास खण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की एक सी.डी. रहेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।
61. अन्य रुपये 100/- प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रुपये 2/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।
62. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारु संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :-
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
 - सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
 - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
 - कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
 - शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।

- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना।
 - स्टेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
 - वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समयसीमा में निराकरण कराना।
 - प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिन्टिंग सुनिश्चित करना।
65. आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी कार्यक्रम अनुसार पंचायतों की मतदाता सूची दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
66. गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
67. मतदाता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के सम्बंध में आयोग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ-52-NN-01/2018/पाँच/234 दिनांक 07.03.2018 में उल्लेखित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये और निर्देशानुसार की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें।
68. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई-मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव

01/02 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठा. क्रमांक-एफ-35/PN-02/2018/तीन/197
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 16/03/2018

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
7. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
12. आयुक्त-सह-नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
13. लेखाधिकारी(बजट/निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
17. गार्ड फाईल।

(दीपक सक्सेना)

उप सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

जिले का नाम : हरदा

विकासखण्ड का नाम : हरदा

पंचायत पंचायत का नाम
क्र.

	मतदान केन्द्र का नाम
मतदान केन्द्र क्र.	

Page 2 of 24.

जिले का नाम : हरदा

विकासखण्ड का नाम : हरदा

पंचायत पंचायत का नाम क्र.	वार्ड नं.	गांव का नाम	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र का नाम
	9	पिडगाँव	15	शा.प्रा.शाला भवन पिडगाँव
	10	पिडगाँव	15	शा.प्रा.शाला भवन पिडगाँव
	11	पिडगाँव	15	शा.प्रा.शाला भवन पिडगाँव
	12	पिडगाँव	15	शा.प्रा.शाला भवन पिडगाँव
	13	पिडगाँव	15	शा.प्रा.शाला भवन पिडगाँव
	14	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
	15	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
	16	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
	17	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
	18	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
	19	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
	20	मझली	16	शा. प्रा.शाला भवन नवीन मझली
7 उडा	1	उडा	17	नवीन सामुदायिक भवन ऊडा
	2	उडा	17	नवीन सामुदायिक भवन ऊडा
	3	उडा	17	नवीन सामुदायिक भवन ऊडा
	4	उडा	18	पुराना सामुदायिक भवन ऊडा
	5	उडा	18	पुराना सामुदायिक भवन ऊडा
	6	उडा	18	पुराना सामुदायिक भवन ऊडा
	7	उडा	19	शा.प्रा.शाला भवन कक्ष क्र.1 ऊडा
	8	उडा	19	शा.प्रा.शाला भवन कक्ष क्र.1 ऊडा
	9	उडा	20	शा.प्रा.शाला भवन कक्ष क्र. 2ऊडा
	10	उडा	20	शा.प्रा.शाला भवन कक्ष क्र. 2ऊडा
	11	कुलहरदा	21	मराठी प्रा. शा. भवन कक्ष क्र.1 कुलहरदा
	12	कुलहरदा	21	मराठी प्रा. शा. भवन कक्ष क्र.1 कुलहरदा
	13	कुलहरदा	22	मराठी प्रा. शा. भवन कक्ष क्र.2 कुलहरदा
	14	कुलहरदा	22	मराठी प्रा. शा. भवन कक्ष क्र.2 कुलहरदा
	15	कुलहरदा	23	मा. शा. भवन कक्ष क्र. 1 हरदा कुलहरदा
	16	कुलहरदा	23	मा. शा. भवन कक्ष क्र. 1 हरदा कुलहरदा
	17	कुलहरदा	24	मा. प्रा. शा. भवन कक्ष क्र.2 कुलहरदा
	18	कुलहरदा	24	मा. प्रा. शा. भवन कक्ष क्र.2 कुलहरदा
	19	कुलहरदा	25	आगंनवाडी भवन केन्द्र क्र. 55 ग्वालनगर हरदा
	20	कुलहरदा	25	आगंनवाडी भवन केन्द्र क्र. 55 ग्वालनगर हरदा
8 भाटपरेटिया	1	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	2	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	3	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	4	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	5	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	6	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	7	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	8	भाटपरेटिया	26	शा. प्रा. शाला भवन भाटपरेटिया
	9	रूपीपरेटिया	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	10	रूपीपरेटिया	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	11	रूपीपरेटिया	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	12	रूपीपरेटिया	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	13	रूपीपरेटिया	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	14	रूपीपरेटिया	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	15	कोटल्याखेडी	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	16	कोटल्याखेडी	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया
	17	दूधकच्छ	27	शा. प्रा. शा. भवन अति. कक्ष रूपीपरेटिया

विकासखण्ड का नाम : हरदा

Page 4 of 24

विकासखण्ड का नाम : हरदा

Page 5 of 24

पंचायत पंचायत का नाम
क्र.

मतदान	मतदान केन्द्र का नाम
केन्द्र क्र.	

Page 6 of 24

विकासखण्ड का नाम : हरदा

[Signature]

जिले का नाम : हरदो

विकासखण्ड का नाम : हरदा

[illegible]

जिले का नाम : हरदा

विकासखण्ड का नाम : हरदा

Shine

जिले का नाम : हरदा

विकासखण्ड का नाम : हरदा

[illegible]

(संलग्न-2)

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

संलग्न-2 अनुसार

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र	वार्ड नंबर	भाग संख्या	मोहल्ला क्र.
								U R	पंचायत क्र व नाम	वार्ड नंबर	

अनुभाग : 1-साल्वाखेड़ी, ग्राम-साल्वाखेड़ी, 461331

83	5	गोपाल भाबरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बूढ़ा	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुध्दा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556					
435	48	संगिता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगिता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627					

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र	U R	वार्ड नंबर	पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या	मोहल्ला क्र.
469	211	सकाराम	पिता धुधर सिंह	M	22	WMQ1100593							
470	211	कला बाई	पति विक्रम	F	21	WMQ1100585							
471	212	सोनू	पिता माल सिंह	F	22	WMQ1100668							
862	263/1	दुर्गा	पति भारत	F	25	WMQ1195130							
865	3क	राकेश पटेल	पिता रणजीत	M	18	WMQ1195163							
866	1क	भावना	पति रामसिंह	F	22	WMQ1195171							
867	1	धनसिंह	पिता प्रताप सिंह	M	19	WMQ1195189							
868	3 क	गणेश	पिता नरसिंह	M	18	WMQ1200724							
869	10	विजय	पिता सुरेश	M	20	WMQ1200765							
870	13	बबलू	पिता धनसिंग	M	20	WMQ1200773							
871	14	अजय	पिता सुंदरलाल	M	22	WMQ1200781							

अनुभाग : 1-साल्याखेडी, ग्राम-साल्याखेडी, 461331

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र	U R	वार्ड नंबर	भाग संख्या	महिला क्र.
										पंचायत क्र व नाम	वार्ड नंबर	

अनुभाग : 1-साल्याखेडी, ग्राम-साल्याखेडी, 461331

872	20	अजय	पिता सिकदार	M	18	WMQ1200807						
873	30 क	मंजुला	पति श्यामू	F	22	WMQ1201086						
874	35 क	उमेश	पिता रामाधर	M	19	WMQ1201094						
875	40 क	किशन	पिता दुर्जनसिंह	M	19	WMQ1201110						
876	24	बीना	पिता रतनसिंह	F	18	WMQ1201136						
877	20	भूरीबाई	पति महेन्द्र	F	20	WMQ1201300						
878	20	संगीता	पति अजय	F	20	WMQ1201334						
879	44	मान सिंह	पिता गुलाब सिंह	M	19	WMQ1215680						
880	16	रीना	पति राकेश	F	18	WMQ1215698						
881	01	अनिता	पति गोविन्द	F	23	WMQ1215706						

अनुभाग : 2-रामपुरा, ग्राम-साल्याखेडी, 461331

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र	U R	वाई नंबर	पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या	मोहल्ला क्र.
----------------	------------	-----------------	-----------------	------	-----	-------------	------	---------	--------	----------	------------------	------------	--------------

अनुभाग : 2-रामपुरा, ग्राम-साल्याखंडी, 461331

553	12	गीता	पति हीरालाल	F	23	WMQ1100650							
554	12	अनिता	पति नरसिंह	F	20	WMQ1107564							
864	11	शर्मिला	पति अर्जुन	F	19	WMQ1195155							

अनुभाग : 3-जोगाकला वनग्राम, ग्राम-साल्याखंडी, 461331

621	05/1	सीता	पति इन्द्रलाल	F	20	WMQ1100601							
709	14	ब्रिजेश	पिता सुन्दरलाल	M	28	WMQ1100643							
735	17	निशा	पति भगताराम	F	22	WMQ1100635							
863	15/2	संजु कनोजे	पिता लालु कनोजे	M	18	WMQ1195148							

कुल संख्या :	38
--------------	----

(संलग्न - 3)

(सैंपल संलग्न - 3 अनुसार)

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 5 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण			नगरीय निकाय में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग
ईपिक संख्या	लिंग आयु विलोपन का कारण		ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या			(√ / X)
शिवप्रसाद	पिता नाथूराम		125	शिवप्रसाद	पिता नाथूराम		☐
BYS0107516	M 82 Expired		BYS0107516	M 81 44			
मुर्तुजा खां	पिता बाबू खां		443	मुर्तुजा खां	पिता बाबू खां		☐
BYS0109827	M 73 Expired		BYS0109827	M 72 125/क			
माणकचंद	पिता जैनारायण		577	माणकचंद	पिता जैनारायण		☐
BYS0110445	M 81 Expired		BYS0110445	M 80 174			

कुल संख्या :

3

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

विकासखण्ड : हरदा

जिला : हरदा

ग्राम पंचायत : सोनखेडी

विधानसभा में विवरण			पंचायत में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग
ईपिक संख्या	लिंग	आयु	विलोपन का कारण	ईपिक संख्या	लिंग	आयु	गृह संख्या
गोवर्धन	पिता जगदीश		1143	गोवर्धन	पिता जगदीश		☐
WMQ5873773	M	30	Missing	WMQ5873773	M	29	97
निशा	पति गोवर्धन		1145	निशा	पति गोवर्धन		☐
WMQ0217562	F	27	Missing	WMQ0217562	F	26	97

कुल संख्या :

2

(संलग्न - 4)

(सैन्यल सलन - 4 अनुसार)

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो		मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग	
ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या			ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√ / X)	
अंगूरी	पति बद्रीप्रसाद			84 अंगूरी	पति बद्रीप्रसाद		☐	
MP/28/227/042086	F 49			MP/28/227/042086	F 48 14			
विमला	पति मनोरीलाल			87 विमला	पति मनोरीलाल		☐	
MP/28/227/042087	F 56			MP/28/227/042087	F 55 16			
सावित्री	पति विजय			93 सावित्री	पति विजय		☐	
MP/28/227/042268	F 49			MP/28/227/042268	F 48 17			
सत्यनारायण	पिता भीकू			292 सत्यनारायण	पिता भीकू		☐	
MP/28/227/042137	M 56			MP/28/227/042137	M 55 71			
प्रभा	पति बालाराम			498 प्रभा	पति बालाराम		☐	
MP/28/227/042338	F 51			MP/28/227/042338	F 50 125			
अशोक	पिता मुख्तयार			581 अशोक	पिता मुख्तयार		☐	
BYS4680369	M 51			BYS4680369	M 50 146			
चंद्रावती	पति अशोक			582 चंद्रावती	पति अशोक		☐	
BYS4680344	F 46			BYS4680344	F 45 146			
अरविन्द	पिता तुलसीराम			624 अरविन्द	पिता तुलसीराम		☐	
WMQ0789255	M 22			WMQ0789255	M 21 150			
जगदीश	पिता किसन			733 जगदीश	पिता किसन		☐	
BYS4660791	M 49			BYS4660791	M 48 177			
पार्वती	पति जगदीश			734 पार्वती	पति जगदीश		☐	
BYS4457354	F 44			BYS4457354	F 43 177			

कुल संख्या :

10

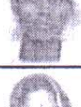


विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

विकासखण्ड : हरदा

जिला : हरदा

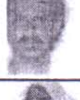
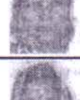
ग्राम पंचायत : सोनखेडी

विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो		मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग	
ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या			ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√ / X)	
शिवराम	पिता मुंशी			2 शिवराम	पिता मुंशी		☐	
MP/28/227/003701	M 42			MP/28/227/003701	M 41 1			
पारवती	पति जगदीश			27 पारवती	पति जगदीश		☐	
MP/28/227/003583	F 45			MP/28/227/003583	F 44 3			
शांती	पति रामाधार			130 शांती	पति रामाधार		☐	
MP/28/227/003595	F 67			MP/28/227/003595	F 66 22			
रमेश	पिता मोती			145 रमेश	पिता मोती		☐	
MP/28/227/003312	M 59			MP/28/227/003312	M 58 24			
गायत्री	पति रमेश			146 गायत्री	पति रमेश		☐	
MP/28/227/003289	F 56			MP/28/227/003289	F 55 24			
गंजू	पिता सुक्कु			170 गंजू	पिता सुक्कु		☐	
BYS4610291	M 32			BYS4610291	M 31 26			
सुगना	पति बक्सु			181 सुगना	पति बक्सु		☐	
MP/28/227/003302	F 64			MP/28/227/003302	F 63 28			
रामनिवास	पिता रामभाऊ			183 रामनिवास	पिता रामभाऊ		☐	
MP/28/227/003629	M 43			MP/28/227/003629	M 42 29			
सुमन	पति गोरेलाल			188 सुमन	पति गोरेलाल		☐	
MP/28/227/003309	F 58			MP/28/227/003309	F 57 30			
अनिल	पिता गोरेलाल			189 अनिल	पिता गोरेलाल		☐	
BYS4610440	M 32			BYS4610440	M 31 30			
सरोजबाई	पति अनिल			190 सरोजबाई	पति अनिल		☐	
BYS4610317	F 31			BYS4610317	F 30 30			
गना	पति चम्पालाल			199 गना	पति चम्पालाल		☐	
MP/28/227/003847	F 46			MP/28/227/003847	F 45 32			
चैनसिंह	पिता रामभाऊ			210 चैनसिंह	पिता रामभाऊ		☐	
MP/28/227/003608	M 51			MP/28/227/003608	M 50 35			
संतोष	पिता माखन			268 संतोष	पिता माखन		☐	
WMQ0787028	M 22			WMQ0787028	M 21 42			
धीरसिंह	पिता कुंजीलाल			271 धीरसिंह	पिता कुंजीलाल		☐	
MP/28/227/003867	M 49			MP/28/227/003867	M 48 44			

विकासखण्ड : हरदा

जिला : हरदा

ग्राम पंचायत : सोनखेडी

विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्कि	
ईपिक संख्या	लिंग	आयु	गृह संख्या	ईपिक संख्या	लिंग	आयु	गृह संख्या	(√/X)
अमरावती	पति धीरसिंह		272	अमरावती	पति धीरसिंह			☐
MP/28/227/003866	F	47	MP/28/227/003866	F	46	44		
रामदीन	पिता धासीराम		291	रामदीन	पिता धासीराम			☐
MP/28/227/003863	M	58	MP/28/227/003863	M	57	49		
रुखमणी	पति रामदीन		292	रुखमणी	पति रामदीन			☐
MP/28/227/003225	F	55	MP/28/227/003225	F	54	49		
राजेश	पिता रामदीन		295	राजेश	पिता रामदीन			☐
BYS4463451	M	32	BYS4463451	M	31	49		
रामनिवास	पिता भगवान		318	रामनिवास	पिता भगवान			☐
MP/28/227/003874	M	49	MP/28/227/003874	M	48	54		
सुमन	पति रामनिवास		320	सुमन	पति रामनिवास			☐
MP/28/227/003843	F	45	MP/28/227/003843	F	44	54		
भरतगिर	पिता नर्मदागिर		401	भरतगिर	पिता नर्मदागिर			☐
MP/28/227/003885	M	39	MP/28/227/003885	M	38	62		
सुनीता	पति भरतगिरी		403	सुनीता	पति भरतगिरी			☐
BYS4463618	F	34	BYS4463618	F	33	62		
शांता	पति मोहनलाल		408	शांता	पति मोहनलाल			☐
MP/28/227/003288	F	58	MP/28/227/003288	F	57	63		
बसु	पति दीपचंद		527	बसु	पति दीपचंद			☐
MP/28/227/003883	F	53	MP/28/227/003883	F	52	98		
रामभरोस	पिता बंशी		558	रामभरोस	पिता बंशी			☐
MP/28/227/003238	M	55	MP/28/227/003238	M	54	114		

कुल संख्या :

26

(संलग्न-5)

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का
प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 10 के तहत विकासखण्ड.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए तारीख 01 जनवरी 2018. के सन्दर्भ में, फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक..... को किया गया है।

तारीख.....

स्थान.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(संलग्न - 6)

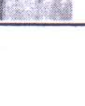
ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम नगरीय निकाय की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

जांच सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 2 , भाग संख्या : 1

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
31	4/1	शकीला खान	पति अजहर	F	39	WMQ0458174	
89	7ग	मेहनाज खान	पिता नवाब खान	F	28	WMQ5966122	
96	7घ	अमरीन	पिता रहमान	F	24	WMQ0369207	
97	7घ	नोरीन	पिता रहमान खॉ	F	20	WMQ0885392	
143	11	शेखजहूर	पिता शेखगफूर	M	45	LWH0266387	
145	11	रजिया	पति शेख जहुर	F	35	WMQ0220020	
152	12	हीना	पिता बहीद	F	26	WMQ0369348	
153	12	गजाला	पिता जुम्मन	F	24	WMQ0369314	
195	15	मो आमीन	पिता शेख शब्बीर	M	31	WMQ0516773	
214	18	मो.अफसर	पिता रज्जब	M	39	MP/28/227/051245	
216	18	मो अनवर	पिता मो रज्जब	M	37	WMQ0220152	
230	20	नोशीन	पिता तौफीक मलिक	F	26	WMQ0220160	
240	21क	अखलाक खान	पिता सगीर खान	M	30	WMQ0719732	
247	21ख	शेख मेहमुद	पिता शेख शेरू	M	34	BYS4561684	
248	21ख	इरफान खान	पिता नवाब खान	M	31	WMQ0839035	



मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
249	21ख	अफसाना बी	पति इरफान खान	F	27	WMQ0839092	
259	21घ/2	याकूब खां	पिता बाबू खां	M	55	WMQ0694687	
291	23/क	असफाकखां	पिता रजाकखां	M	38	MP/28/227/051338	
311	24 ए	दुर्गा	पति रवि	F	23	WMQ0517334	
330	24क/4	आस्मीन	पिता सत्तार खॉ	F	22	WMQ0739045	
370	24छ/3	समसुन	पिता शफी मोहम्मद	F	24	WMQ0517235	
388	24ज/1	परवीन	पिता शरीफ खान	F	27	WMQ0220368	
398	24-ज/3	रफीकखान	पिता करीमखान	M	33	WMQ0080879	
401	24ज/5	हकीमुद्दीन बोहरा	पिता सुल्तान अली	M	70	WMQ0694646	
402	24ज/5	फातिमा बोहरा	पति हकीमुद्दीन बोहरा	F	57	WMQ0694711	
405	24ज/5	खुजेमा बोहरा	पिता हकीमुद्दीन	M	26	WMQ0694729	
426	24ण	रूखसार बानो	पिता इकबाल खां	F	26	WMQ0849828	
471	24भ	शबाना बी	पति सुभान खान	F	29	WMQ0369462	
491	24 ल	शीला	पति गौरी शंकर	F	30	WMQ0304253	
492	24ल	दीपक	पिता कुंजीलाल	M	51	BYS0724583	
493	24ल	समोता	पति दीपक	F	47	BYS0087684	

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
494	24ल	राकेश	पिता दीपक	M	26	WMQ5966452	
524	24स/6	शबानाबी	पिता मो.अख्तर	F	31	WMQ0080929	
560	24बी	नौशाद खान	पिता लियाकत खान	F	28	WMQ0790105	
575	24एफ	अख्तरी बी	पति अ सत्तार खां	F	64	WMQ5966528	
596	24जी/6	आबिद खान	पिता जहीर खान	M	31	WMQ0369520	
630	24जी/19	हैदर अली	पिता बली मोहम्मद	M	27	WMQ0739409	
631	24जी/19	दौलत बानो	पति हैदर अली	F	24	WMQ0739425	
639	24जी/20	निशा धनगर	पिता जगदीश धनगर	F	22	WMQ0904383	
648	24जी/22	मोहम्मद कामिल	पिता लिल्लाही	M	26	WMQ0719633	
649	24जी/22	माहेनिगार	पति मोहम्मद कामिल	F	22	WMQ0719641	
661	24 आई	शबनम खान	पिता रज्जाक खान	F	23	WMQ0517102	
662	24आई	शकीला बी	पति रज्जाक	F	48	BYS0724419	
675	24के	शीनम अली	पिता अनवर अली	F	26	WMQ5966593	
724	25/1	नसरीन बानो	पिता इकबाल खान	F	28	WMQ0904391	
729	27/1	शाहिब खां	पिता अनवर खां	M	30	WMQ0849836	
746	35	गीता बाई	पति मदनलाल	F	63	BYS0088047	



मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-नई आबादी बेलदार चौक							
764	36	सब्बो बी	पति शहराज शाह	F	32	BYS4487732	
785	37क	सरला	पति अशोकराव	F	45	MP/28/227/051160	
787	37क	नरेन्द्र	पिता मोहनलाल	M	33	BYS4658266	
901	57	जमीलखां	पिता मूनीरखां	M	44	MP/28/227/051221	
931	62	कृष्ण कुमार	पिता लक्ष्मणप्रसाद	M	38	BYS0096321	
933	62	रानी	पिता लक्ष्मण प्रसाद	F	33	WMQ5966981	
935	62	लाली	पिता लक्ष्मण	F	31	BYS4274924	
980	70	कौशल्या	पति भिकूलाल	F	64	BYS4689568	
1017	78	अनिल	पिता मूलचंद	M	38	BYS4275087	
1018	78	लक्ष्मीबाई	पति अनिल	F	33	BYS4444691	

दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में विधानसभा की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची की तुलना में नगरीय निकायों में बड़े हुए मतदाताओं की संख्या :

57

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम पंचायत की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

जांच सूची

विकासखण्ड : हरदा

जिला : हरदा

ग्राम पंचायत : सोनखेडी

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
वार्ड संख्या - 2 (ग्राम : सोनखेडी)							
135	22	पूर्णमा	पति संदीप	F	21		
168	26	सुन्दरलाल	पिता ब्रजलाल	M	43		
169	26	गायत्री	पति सुन्दरलाल	F	38		
वार्ड संख्या - 11 (ग्राम : भुवनखेडी)							
861	52/2	निर्मल	पिता जगदीश	M	22		
वार्ड संख्या - 15 (ग्राम : भुवनखेडी)							
1230	112	ज्योति	पति दीपक	F	27		
1273	115	संजु बाई	पति विजेन्द्र	F	20		
1275	115	छोटू	पिता रामभरोस	M	19		
1288	117	सुनील	पिता महेश	M	23		
वार्ड संख्या - 17 (ग्राम : भुवनखेडी)							
1435	143	गोपाल	पिता बलराम	M	19		

दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में विधानसभा की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची की तुलना में त्रि-स्तरीय पंचायतों में बड़े हुए मतदाताओं की संख्या :

9

(संलग्न-7)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
एक ही नगरीय निकाय में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल मतदाता : 40)

नगर पालिका परिषद - हरदा

Date : 19/02/2018

सत्यापन मार्किंग (✓)

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
22	2	178	136/4	मो इलियास	स्माईल खां	M	44	BYS0220327		☐	☐
30	2	322	97	मोहइलियास	स्माईलखां	M	44	BYS0220327		☐	☐
31	2	231	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998		☐	☐
32	1	310	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998		☐	☐
24	1	146	17	संजू	बृजेश	F	48	BYS4800066		☐	☐
24	1	164	18क	रविन्द्र कुमार	विजयश्याम	M	26	BYS4800066		☐	☐
22	2	179	136/4	नजमुन निशा	इलियास	F	40	WMQ0392381		☐	☐
30	2	323	97	नजमुन निशा	इलियास	F	40	WMQ0392381		☐	☐
16	3	515	203 क	रामकृष्ण कोगे	सुरेश कुमार	M	24	WMQ0528414		☐	☐
31	2	236	203 क	रामकृष्ण कोगे	सुरेश कुमार	M	24	WMQ0528414		☐	☐



वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
31	2	235	203 क	महेन्द्र	सुरेश कुमार	M	25	WMQ0528422		☐	☐
16	3	514	203 क	महेन्द्र	सुरेश कुमार	M	25	WMQ0528422		☐	☐
18	1	1095	793/अ	गौरव	धन्नालाल	M	21	WMQ0798835		☐	☐
18	1	1097	793/अ	गौरव	धन्नालाल	M	21	WMQ0798835		☐	☐
18	1	1094	793/अ	धन्नालाल	किशोरीलाल	M	46	WMQ0798850		☐	☐
18	1	1096	793/अ	धन्नालाल घाघरे	किशोरीलाल घाघरे	M	46	WMQ0798850		☐	☐
32	1	620	211क	शिव नारायण	राधेश्याम	M	50	WMQ0839621		☐	☐
16	2	872	211क	शिव नारायण	राधेश्याम	M	50	WMQ0839621		☐	☐
16	2	873	211क	कृष्णा बाई	शिवनारायण	F	45	WMQ0839639		☐	☐
32	1	621	211क	कृष्णा बाई	शिवनारायण	F	45	WMQ0839639		☐	☐

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
18	1	1057	793/प/1	नंदा अग्रवाल	निर्मल अग्रवाल	F	55	WMQ0875500		☐	☐
18	1	1064	793/प/1	नंदा अग्रवाल	निर्मल	F	55	WMQ0875500		☐	☐
18	1	1058	793/प/1	श्रीकान्त अग्रवाल	रामनारायण	M	54	WMQ0875518		☐	☐
18	1	1065	793/प/1	श्रीकांत	रामनारायण	M	54	WMQ0875518		☐	☐
18	1	1061	793/प/1	शिरीष अग्रवाल	श्रीकान्त अग्रवाल	M	26	WMQ0875526		☐	☐
18	1	1068	793/प/1	शिरीष	श्रीकांत	M	26	WMQ0875526		☐	☐
18	1	1067	793/प/1	निधि अग्रवाल	निर्मल	F	29	WMQ0875534		☐	☐
18	1	1060	793/प/1	निधि अग्रवाल	निर्मल अग्रवाल	F	29	WMQ0875534		☐	☐
18	1	1059	793/प/1	रजनी अग्रवाल	श्रीकान्त अग्रवाल	F	45	WMQ0875609		☐	☐
18	1	1066	793/प/1	रजनी अग्रवाल	श्रीकांत अग्रवाल	F	45	WMQ0875609		☐	☐



वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
18	1	1063	793प/1	निर्मल अग्रवाल	रामनारायण	M	60	WMQ0875674		☐	☐
18	1	1056	793प/1	निर्मल अग्रवाल	रामनारायण अग्रवाल	M	60	WMQ0875674		☐	☐
23	1	646	149ख	सलीम	रियाज खान	M	54	WMQ0945964		☐	☐
23	2	23	149ख	शेख यूनुस	शेख यूसूफ	M	55	WMQ0945964		☐	☐
23	1	514	121क	आमिर	अब्दुल कय्यूम	M	43	WMQ0983114		☐	☐
23	1	507	121क	आमिर	अब्दुल कय्यूम	M	43	WMQ0983114		☐	☐
23	1	509	121क	शैहला	आमिर	F	38	WMQ0983122		☐	☐
23	1	515	121क	शैहला	आमिर	F	38	WMQ0983122		☐	☐
23	1	503	121क	मन्जूर बेगम	अब्दुल कय्यूम	F	67	WMQ0983148		☐	☐
23	1	513	121क	मन्जूर बेगम	अब्दुल कय्यूम	F	77	WMQ0983148		☐	☐

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
एक ही विकासखण्ड में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल मतदाता : 30)

विकासखण्ड : हरदा

Date : 20/02/2018

सत्यापन मार्किंग (✓)

पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
रहटाखुर्द	11	905	154	सेराबाई	महताबसिंह	F	68	BYS0273391		☐	☐
रहटाखुर्द	12	950	154	सेराबाई	महताबसिंह	F	68	BYS0273391		☐	☐
सोनखेडी	10	840	51	ईश्वर	लक्ष्मीनारायण	M	27	BYS4698999		☐	☐
सोनखेडी	11	844	51	ईश्वर	लक्ष्मीनारायण	M	27	BYS4698999		☐	☐
झाड़पा	14	1261	248	हुरमत	शहीदखां	F	54	BZZ0608752		☐	☐
झाड़पा	17	1439	248	हुरमत	शहीदखां	F	54	BZZ0608752		☐	☐
पचौला	4	315	48क	रघुदास	हरनाथ	M	34	BZZ4860391		☐	☐
पचौला	4	316	48क	रघुदास	हरनाथ	M	34	BZZ4860391		☐	☐
नयापुरा	10	976	21	विक्रमसिंह	कमलसिंह	M	29	LWH0250209		☐	☐
नयापुरा	11	1001	21	विक्रमसिंह	कमलसिंह	M	29	LWH0250209		☐	☐



विकासखण्ड : हरदा

Date : 20/02/2018

सत्यापन मार्किंग (✓)

पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
खेड़ीनीमा	2	83	15	भगताराम	हरनारायण	M	40	MP/28/226/021660		☐	☐
खेड़ीनीमा	2	84	15	भगताराम	हरनारायण	M	40	MP/28/226/021660		☐	☐
आदमपुर	13	947	52	किरण	कैलाश	F	40	MP/28/226/033436		☐	☐
खेड़ीनीमा	2	178	52	किरण	कैलाश	F	40	MP/28/226/033436		☐	☐
बूंदडा	10	650	6	रामकुंवर	बाजूलाल	F	90	MP/28/226/300232		☐	☐
जिजगाँव खुर्द	10	792	6	रामकुंवर	बाजूलाल	F	90	MP/28/226/300232		☐	☐
रहटाखुर्द	11	904	154	महताबसिंह	जागेश्वर	M	70	MP/28/227/162209		☐	☐
रहटाखुर्द	12	949	154	महताबसिंह	जागेश्वर	M	70	MP/28/227/162209		☐	☐
नयापुरा	10	975	21	पार्वती	मंगलसिंह	F	33	WMQ0121921		☐	☐
नयापुरा	11	1000	21	पार्वती	मंगलसिंह	F	33	WMQ0121921		☐	☐

पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
देवतलाब	10	848	74	ओमप्रकाश ग	मौजीराम ग	M	28	WMQ0148882		☐	☐
देवतलाब	11	854	74	ओमप्रकाश ग	मौजीराम ग	M	28	WMQ0148882		☐	☐
खेड़ा	14	1056	18थ	सुनीता बाई	मुकेश कुमार	F	36	WMQ0175216		☐	☐
खेड़ा	15	1094	18थ	सुनीता बाई	मुकेश कुमार	F	36	WMQ0175216		☐	☐
रातातलाई	1	14	3	गम्भीरसिंह	रामभरोस	M	23	WMQ0343590		☐	☐
रातातलाई	1	15	3	गम्भीरसिंह	रामभरोस	M	23	WMQ0343590		☐	☐
बूंदडा	2	141	88	मना	बालाराम	F	28	WMQ0417378		☐	☐
बूंदडा	9	604	88	मना	बालाराम	F	28	WMQ0417378		☐	☐
झाड़पा	20	1786	49	ज्योति	कुलदीप	F	25	WMQ0646331		☐	☐
रेसलपुर	9	980	49	ज्योति	कुलदीप	F	25	WMQ0646331		☐	☐



दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले ड्रिफ्ट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक नगरीय निकायों में) (कुल मतदाता : 2)

जिला - हरदा

सत्यापन मार्किंग (✓)

नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
--------------------	------------	----------	----------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	------	-----	-------------	------	------------------------------	-----------------------------

न.प. टिमरनी 15 1 खंगारपुरा 738 24 धापूर्वाई पति लालसिंह F 52 MP/28/227/297502


☐
☐

न.प. खिरिकिया 1 1 किसान मोहल्ला 2 1 लक्ष्मी पति धनजी F 70 MP/28/227/297502


☐
☐

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले इलुकेट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक विकासखण्डों में) (कुल मतदाता : 16)

जिला - हरदा

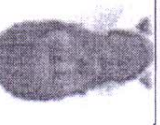
सत्यापन मार्किंग (✓)

विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से मतदाता सूची में हटाया जाना है	रखा जाना है
वि.खं. टिमरनी	फुलडी	4	382	75ख	अमरदास	पिता सरवन	M	58	MP/28/226/216157		☐	☐
वि.खं. हरदा	पांचातलाई	11	847	7	हरीराम	पिता नन्हू	M	62	MP/28/226/216157		☐	☐
वि.खं. हरदा	जिजागोव खुर्द	12	1027	232	श्रीकिसन	पिता चुशीलाल	M	65	MP/28/226/264254		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	डोलरिया	2	111	23	ठाकुरलाल	पिता हरभजन	M	65	MP/28/226/264254		☐	☐
वि.खं. हरदा	रेसलपुर	2	187	40	अस्सरबाई	पति लक्खुलाल	F	60	MP/28/226/339841		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	कासरनी	12	943	25	क्षमाबाई	पति प्रेमसिंह	F	52	MP/28/226/339841		☐	☐



जिला - हरदा

सत्यापन मार्किंग (✓)

विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से मतदाता सूची में हटाया जाना है	रखा जाना है
वि.खं. खिरकिया	जटपुरामाल	1	38	8	राधाकिसन	पिता गोविंदराम	M	49	MP/28/226/372247		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	बोधी	1	10	2	रामकली	पति परसराम	F	39	MP/28/226/372247		☐	☐
वि.खं. खिरकिया	जटपुरामाल	2	135	20	मोजीराम	पिता बाबूलाल	M	62	MP/28/226/372316		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	बोधी	11	878	19	गुलाब	पिता मंगलू	M	38	MP/28/226/372316		☐	☐
वि.खं. हरदा	नयापुरा	9	749	128	भारसिंह	पिता चंदरसिंह	M	58	MP/28/226/417001		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	लोधीढाना	6	418	58	किशोर	पिता चुइया	M	44	MP/28/226/417001		☐	☐
वि.खं. खिरकिया	चौकड़ी	13	227	231	गीताबाई	पति लक्ष्मीनारायण	F	65	MP/28/227/249429		☐	☐

जिला - हरदा

सत्यापन मार्किंग (✓)

विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से मतदाता सूची में हटाया जाना है	रखा जाना है
------------------	---------------	------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	------	-----	-------------	------	--	-------------

वि.खं. टिमरनी दूधकच्छ 5 388 70 कांती पति किशोरसिंह F 46 MP/28/227/249429

☐ ☐

वि.खं. टिमरनी छिदगाँवमेत 4 358 70 क्षमा पति मुकेश F 33 WMQ0455998

☐ ☐

वि.खं. हरदा भादुगाँव 5 310 70 क्षमा पति मुकेश F 33 WMQ0455998

☐ ☐

Signature

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 12)

बिला - हरदा

विकासखण्ड क्रमांक - 2 (कुल मतदाता : 6)

सत्यापन मार्किंग (✓)

नगरीय / पंचायत	नगरीय निकाय / विकासखण्ड का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
----------------	--------------------------------	------------	----------	--------------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	------	-----	-------------	------	------------------------------	-----------------------------

वि.खं. हरदा 7 नीमगाँव

नगरीय न.पा.प. हरदा	2	2	मांग मोहल्ला कहरावाडी गौर कालोनी	960	326/2ख	तेजराम	पिता मौजीराम	M	77	MP/28/226/213024			☐	☐
--------------------	---	---	----------------------------------	-----	--------	--------	--------------	---	----	------------------	--	---	--------------------------	--------------------------

पंचायत	687	123	शकुन	पति जगदीशप्रसाद	F	60	MP/28/227/174456			☐	☐
--------	-----	-----	------	-----------------	---	----	------------------	--	---	--------------------------	--------------------------

वि.खं. हरदा 8 सुखरास

नगरीय न.पा. टिमरनी	2	1	पटेल कालोनी	1000	184/43	रामस्वरूप	पिता गोरेलाल	M	42	MP/28/227/174456			☐	☐
--------------------	---	---	-------------	------	--------	-----------	--------------	---	----	------------------	--	---	--------------------------	--------------------------

पंचायत	516	182	राजेश	पिता भुजराम	M	38	WMQ0838847			☐	☐
--------	-----	-----	-------	-------------	---	----	------------	--	---	--------------------------	--------------------------

वि.खं. हरदा 8 पिडगाँव

नगरीय न.पा.प. हरदा	33	1	राजेश	पिता भुजराम	M	38	WMQ0838847			☐	☐
--------------------	----	---	-------	-------------	---	----	------------	--	---	--------------------------	--------------------------



दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 12)

माला - हरदा

विकासखण्ड क्रमांक - 1 (कुल मतदाता : 6)

सत्यापन मार्किंग (✓)

नगरीय / नगरीय निकाय / पंचायत	विकासखण्ड का नाम	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्र. सख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
पंचायत			413	59ख	कृष्णाबाई	पति भगवानदास	F	51	MP/28/227/303034		☐	☐
वि.खं. खिरकिया	4	भगवानपुरा										
नगरीय न.प. खिरकिया	2	1 खेडीपुरा रोड	834	121	किरण	पति शांतीलाल	F	48	MP/28/227/303034		☐	☐
पंचायत			410	59ख	भारतलाल	पिता हरीशंकर	M	72	MP/28/227/303193		☐	☐
वि.खं. खिरकिया	4	भगवानपुरा										
नगरीय न.प. खिरकिया	2	1 खेडीपुरा रोड	457	60/1	सुनिल	पिता हरिप्रसाद	M	43	MP/28/227/303193		☐	☐
पंचायत			412	59ख	भगवानदास	पिता भारतलाल	M	55	MP/28/227/303228		☐	☐
वि.खं. खिरकिया	4	भगवानपुरा										
नगरीय न.प. खिरकिया	3	1 रामनगर कालोनी	474	156/3	हबीबखां	पिता अमीरखां	M	60	MP/28/227/303228		☐	☐

(Signature)

(संलग्न-8)

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का
प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के
के तहत विकासखण्ड.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों
के लिए तारीख 01 जनवरी 2018. के सन्दर्भ में, फोटोयुक्त मतदाता सूची का
अंतिम प्रकाशन दिनांक..... को किया गया है।

तारीख.....

स्थान.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी